राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.1515 सीसी/स्वाकापु/2018/ 468 दिनांक : 22.2.18

आदेश

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16983/2012 सुदर्शन कुमार स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने आदेश दिनांक 29.03.13 निम्नानुसार पारित किया :–

In view of aforesaid, writ petition is disposed pf with liberty as prayed for. In case of representation, respondents are directed to consider and decide the same. If it is covered by the judgements cited above, then to extend same benefits to the petitioner(s) as directed therein. In case it is not covered, it shpuld be decided by a speaking order and conveyed to the petitioner(s).

प्रकरण एस.बी.सिविल रिट नं. 1633/2012 विजयपाल डाबी बनाम राज्य सरकार व अन्य के आधार पर निर्णित किया गया है जिसके अनुसार याचि के अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश अंकित है।

तत्पश्चात गोविन्ददान चारण के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2015 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी दायर किये जाने का स्थायी समिति द्वारा निर्णय लिया गया एवं 15809–15815/2016 दायर की गई, जो दिनांक 12.7.2016 को खारिज हो गई एवं दायर रिव्यू याचिका भी दिनांक 17.1.2017 को निस्तारित हो गई।

इस प्रकरण में निहित विषयबिन्दु के संबंध में अंतिम निस्तारण गोविन्ददान चारण के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है एवं स्थायी समिति द्वारा इस तरह के प्रकरणों में आगे अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया है।

अतः एस.बी.सिविल अवमानना याचिका सं. 2093/17 अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16983/2012 सुदर्शन कुमार स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने आदेश दिनांक 29.03.13 की पालना में याचिकाकर्ता सुदर्शन कुमार स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष जो उक्त निर्णय से कवर्ड होने के कारण विभिन्न आदेशों के द्वारा पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 975–1720, 1200–2050/4000–6000 एवं 1640–2900/5500–9000 चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जाती है। याचिकाकर्ता को दिनांक 1.1.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

PTO ....

याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान स्वीकृति में यदि कार्मिक को उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानो के अनुसार सही की गई है तथा वेतन स्थिरीकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है तथा संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान एरियर का पूर्व में भुगतान नही किया गया है एवं नियम विरूद्व अधिक भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, की शर्त पर दी जाती है। **उक्त स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अध्याधीन होगी।**

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.1515 सीसी/स्वाकापु/2018/468 दिनांक : 22.2.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर।
2. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर।
4. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर एवं समन्वयक।
7. सुदर्शन कुमार पुत्र श्री धर्मवीर निवासी ए–16, सुभाष नगर जिला भरतपुर (राज0) को द्वारा रजिस्टर्ड पत्र।
8. प्रभारी सर्वर रूम, कमारा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर